रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122024-259175
CG-DL-E-05122024-259175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4742] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946
No. 4742] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

का.आ. 5132(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4952 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2023, द्वारा प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख तारीख 16 नवम्बर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 79.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो कि पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा तारीख 01 जनवरी, 1998 की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह लगभग 55 विशाल भारतीय एक सींग वाले गैंडों का वास है, जो वैश्विक अंतिम प्रजातियों की जनसंख्या में से एक है;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय हाथियों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है, यह लगभग 1000 गौर, कई अन्य शाकाहारी जानवरों, कई लेस्सर बिल्लियों के साथ तेंदुआ और पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियों और तितलियों की लगभग उतनी ही संख्या का भी वास है, और यह वन, नदी पारिस्थितिकी-तंत्र और समीपवर्ती चाय बगान और ग्रामों सहित उनके विविध जातियों के साथ जलपाईगुड़ी जिला के वन भू-दृश्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है;

और, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची-1 के अधीन विनिर्दिष्ट असंख्य प्रजातियों का पोषण करता है जिसमें उसके साथ-साथ विशाल भारतीय एक सींग वाला गैंडा *(रहिनोसेरोस यूनीकोर्निस)*, भारतीय हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), गौर (*बोस गौरस),* तेंदुआ बिल्ली (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), इंडियन राक पायथन (*पायथन मूलयरूस*), मालायन विशाल गिलहरी *(रतुफा बिकोलोर),* तेदुआ (*परिओनाइलुरूस बैंगालेंसिस*), फिशिंग कैट (*परिओनाइलुरूस विवेर्रीनुस*), हील मैना (*ग्राकुला रेलीगिओसा*), भारतीय मोर (*पावो क्रिस्टेटस*), भारतीय ग्रे हार्नबिल्ल (*ओकयकेरोस बिरोस्ट्रीस*), आदि भी आते हैं;

और, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जीव और जंतु विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, उद्यान की परिधि में नृजातीय दबावों के विस्तार को विनियमित किया जाना होगा क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के एकदम आस-पास के क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है जो इस संरक्षित क्षेत्र को बहुत प्रभावित करते है;

और, इस उद्यान में वन्यजीव पर मूर्ति और जलढाका की मुख्य नदी प्रणालियों के साथ-साथ उनकी सहायक नदियों और नालों की गतिशील प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ता है; और इसलिए, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है ताकि वहां और परिदृश्य में वन्यजीव वास स्थान में सुधार और विकास किया जा सके;

और, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर के क्षेत्र को, जो कि पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 17.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना के पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 17.0 किलोमीटर तक विस्तारित होगा और इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 278 वर्ग किलोमीटर है।

(2) गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध–I** के **सारणी क** और **सारणी ख** में संलग्न है।

(3) पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का सीमांकन करने वाले गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र में **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIIख, उपाबंध-IVग, उपाबंध-Vघ, उपाबंध-VIड.,** में संलग्न हैं,

(4) राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के महत्वपूर्ण भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के **सारणी क, सारणी ख, और सारणी ग,** में संलग्न है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्षेत्रों की सूची **उपाबंध-IVक** के रूप में संलग्न है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ **उपाबंध-IVख** में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की आंचलिक महायोजना. – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार और अधिसूचित करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति में और तत्समय प्रवृत सुसंगत विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया की जाएगी, यदि कोई हो;

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्: -

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिचांई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना, अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध तब तक नहीं अधिरोपित किया जाएगा तथा जब तक की इस अधिसूचना में आचंलिक महायोजना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं का उपबंध करेगी तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपबंध करेगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना, सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए समर्थ्यकारी मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन करेगी और पैरा 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

IndiaCode

(9) इस प्रकार तैयार और अधिसूचित आंचलिक महायोजना, मनीटरी समिति के लिए एक निर्देश दस्तावेज का काम करेगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मनीटरी के अपने कर्तव्यों को कारित कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना की तैयारी और इसके अनुमोदन के लंबित रहने के दौरान किसी भी नए विकासात्मक क्रियाकलापों को उप-पैरा (1) और (2) के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार ही शासित किया जाएगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. -** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) **भू-उपयोग. –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए अभिज्ञात उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या न ही उसका संपरिवर्तन किया जाएगा:

परंतु कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन को मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के यथा लागू अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा निम्नलिखित क्रियाकलापों जैसे कि, के लिए अनुमति दी जा सकेगी:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण करना;

ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं सहित गृह वास; और

v. पैरा-4 में दिए गए संवर्धन क्रियाकलापः

परंतु यह और कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह और कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस रीति से बनाए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या के आसपास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जा सके और जो कि ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है।

IndiaCode

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन. –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु यह कि पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत. –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएंगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण अधिनियम, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट. -** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचाने गए स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृत रीति से किया जा सकता है।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी ठोस कचरे को जैव-अवकर्षणीय और गैर-जैव-अवकर्षणीय घटकों में अलग करने की योजना तैयार करेंगे;

(ग) जैव-अवकर्षणीय सामग्री को अधिमानतः खाद या वर्मीकल्चर के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जाएगा ।

(घ) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात किए गए स्थलों पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य रीति में निपटाया जा सकता है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस कचरे को जलाने या भष्म किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा;-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनुज्ञात पहचान की गई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध शामिल किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगा।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण. -** वाहन जनित प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां. -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, समय समय पर संशोधन के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों, जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना (ईआईए), 2006 भी है, और अन्य लागू विधियाँ जिसके अंतर्गत सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) भी हैं, के द्वारा शासित होंगें और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणी**
(1)	**(2)**	**(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, इसके सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुपालन में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी और विद्यमान उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियां और ध्वनि अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।

ख.विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु कि स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए सन्निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे यह आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित, केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा ।

16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के उपर गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि उड़ाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्म की स्थापना।	स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।

IndiaCode

31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि का सक्रिय संवर्धन किया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।

5. मॉनीटरी समिति.- पर्यावरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के लिए केंद्रीय सरकार, एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	संबंधित जिला कलेक्टर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे प्रत्येक कार्यकाल के लिए तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	राज्य जैवविविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन;
(v)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी	सदस्य-सचिव, पदेन।

6. मॉनीटरी समिति के कार्य:- (1) मॉनीटरी समिति, वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, की अनुसूची के अंतर्गत आते हों और जो उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हों, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरण की दृष्टि से पूर्व-अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।

(2) क्रियाकलाप उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में आती हैं, उनके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी। वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर और संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) मॉनीटरी समिति के सदस्य-सचिव या सम्बद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मामले दर मामले की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए मॉनीटरी समिति सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संगमों के प्रतिनिधियों या पणधारियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(5) मॉनीटरी समिति **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक कि अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय् सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मॉनीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश लिखित में दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय**:- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, भी विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8-उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश;- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/24/2018-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-'जी'

उपाबंध– I

सारणी क: गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
उत्तर	कलिम्पोंग वन प्रभाग के वन, भूटान की सीमा तक।
पूर्व	पूर्व में जलढाका नदी के साथ-साथ, सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन तक, इसके आगे दक्षिण में सुलकापाड़ा रोड़ के पूर्वी भाग, जिसमें दियाना श्रेणी के वन, करबला रोड़ का पश्चिमी भाग भी आता है, के साथ-साथ तथा गैर काटा रोड़ से होते हुए जलपायीगुड़ी वन प्रभाग के नाथुआ रेन्ज मे आने वाले रामसाई वन तक।
दक्षिण	हिंदुस्तान मोड़ के उत्तर में, रामसाई सड़क के पूर्वी भाग में, कौअगप-रामसाई सड़क को पार करते हुए, सड़क सहित सिंचाई नहर तक और आगे नहर के किनारे लतागुड़ी-माल रेलवे लाइन तक जाती है।
पश्चिम	लाटागुड़ी से माल-लाटागुड़ी रेलवे लाइन के साथ, इसके अतिरिक्त नेओरा नदी के दाहिने किनारे के उत्तर में, बारादिघी चाय बागान के पश्चिमी किनारे, पीएमजीएसवाई सड़क के पूर्वी किनारे, बंगलापारा सड़क, चोरोक सड़क और उत्तर धुपझोरा सड़क के दक्षिणी किनारे, जिला परिषद सड़क से जलपाईगुड़ी प्रभाग के अधीन पंजहोरा वन तक, एनएच-17, सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन को पार करते हुए उत्तर की ओर किलकोटे-इंडोंग टीजी सड़क और फिर मूर्ति नदी से कुमाई वन तक जाती है।

सारणी ख: महत्वपूर्ण भू-निर्देशांक संदर्भों सहित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विस्तृत विवरण

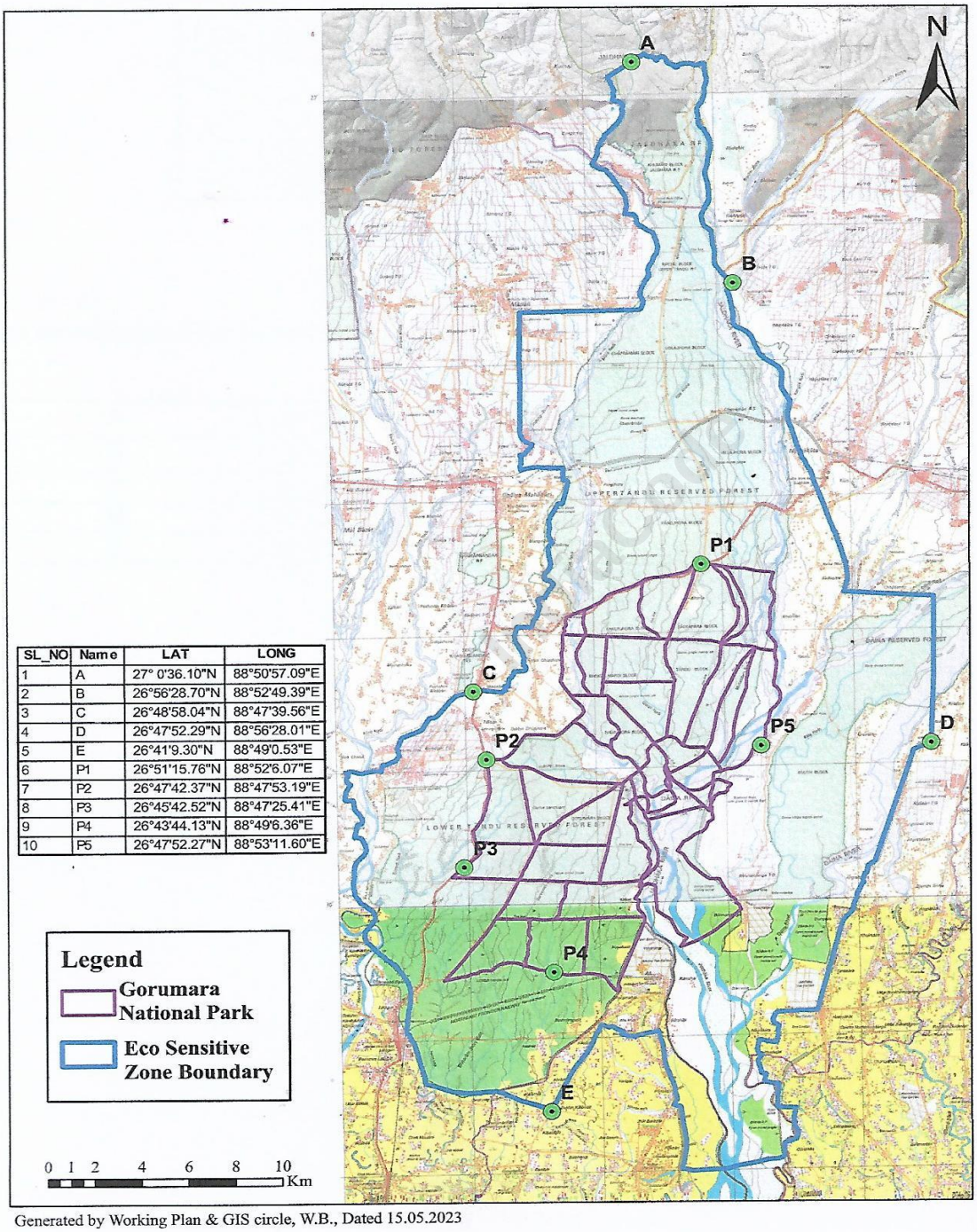
विस्तार	विवरण
उत्तरी	बिंदु 27˚00'19.03"उ 88˚50'28.69" पू से, फिर उत्तर-पूर्व की ओर नक्सा खोला (दाएं किनारे) के केंद्र से 30 मीटर तक बिंदु 27˚00'44.79" उ 88˚51'12.58" पू तक और फिर नक्सा खोला के साथ भूटान सीमा बिंदु 27˚00'32.44" उ 88˚52'23.12" पू तक जाती है।
पूर्वी	भूटान सीमा के साथ बिंदु 27˚00'32.44" उ 88˚52'23.12" पू से 26°56'28.70"उ 88°52'49.39"पू तक जलढाका नदी के पूर्वी भाग सहित बिंदु 26°53'50.68"उ 88°53'46.70"पू तक जहां यह सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन को पार करती है और नागराकाटा-सुखानिबस्ती सड़क से मिलती है जो एनएच-17 को पार करने के बाद सुल्कापारा से जुड़ती है और बिंदु 26°50'41.98"उ 88°54'50.11"पू पर पूर्व की ओर मुड़ती है। फिर पूर्व की ओर, बिंदु 26°50'40.96"उ 88°55'5.98" पर गठिया नदी को पार करते हुए, उसी लाइन पर आगे 2.72 किलोमीटर पूर्व में बिंदु 26˚50'32.97" उ 88˚56'30.16" पू तक जाती है। फिर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर 26˚47'52.40" उ 88˚56'27.81" पू तक नीचे की ओर, फिर कालाबाड़ी सड़क के पश्चिमी किनारे के साथ, सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर, गैरकाटा सड़क से जुड़कर पर नाथुआ बाजार तक बिंदु 26˚42'55.60" उ 88˚54'10.42" पू और फिर मझियाली सड़क के साथ 30 मीटर की दूरी पर बिंदु 26˚42'20.97" उ 88˚53'21.86" पू तक, फिर रामसाई पिकनिक स्पॉट के माध्यम से कनेक्टिंग सड़क के साथ बिंदु 26˚41'34.69" उ 88˚53'24.18" पू तक, और फिर पूर्व की ओर गैरकाटा सड़क के केंद्र से 30 मीटर तक और आगे दक्षिण में बिंदु 26˚40'14.04" उ 88˚53'27.80" पू तक जाती है।
दक्षिणी	बिंदु 26˚40'14.04" उ 88˚53'27.80" पू से, पश्चिमी दिशा की ओर जलढाका नदी को पार करते हुए, और इसके अतिरिक्त पश्चिम में बिंदु 26˚40'20.41" उ 88˚51'30.16" पू तक, फिर सड़क के साथ सड़क के केंद्र से बिंदु 26˚41'12.36" उ 88˚51'29.57" पू तक 30 मीटर की दूरी में, पश्चिम में रामसाई सड़क तक, बिंदु 26˚42'37.02" उ 88˚51'0.574" पू तक, पश्चिम में कौअगप सड़क तक, दक्षिण में सड़क सहित 30 मीटर की दूरी पर नहर तक जाती है। इसके अतिरिक्त, नहर के केंद्र से 30 मीटर उत्तर में, नहर के साथ-साथ 30 मीटर की दूरी पर बिंदु 26˚41'42.44" उ 88˚46'35.60" पू तक जाती है, फिर कनेक्टिंग सड़क के पूर्व में (सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर) सड़क का) लतागुरी-माल रेलवे लाइन तक 26˚42'39.90" उ 88˚46'15.24" पू जाती है।
पश्चिमी	लतागुरी-माल रेलवे लाइन के साथ पश्चिम की ओर, पूर्वी भाग में रेखा के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु 26˚44'23.72" उ 88˚45'29.91" पू तक नेओरा नदी पर रेल पुल तक जाती है, और फिर इसके साथ-साथ नेओरा नदी के पश्चिमी तट मुख्य धारा के केंद्र से 200 मीटर पर बिंदु 26˚47'32.04" उ 88˚45'16.83" पू तक जाती है। नेओरा नदी के उस पार नदी के पूर्वी भाग पर पीएमजीएसवाई सड़क तक, इसे बिंदु 26˚49'00.00" उ 88˚47'46.98" पू पार करते हुए, फिर पीएमजीएसवाई सड़क के साथ (सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी) बंगापारा सड़क के साथ (सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर), फिर उत्तर धूपझोड़ा सड़क के साथ (सड़क के केंद्र

	से 30 मीटर की दूरी पर) बिंदु 26°50'10.29" उ 88°48'48.39" पू तक जाती है, फिर आगे उत्तर की ओर जिला परिषद सड़क के साथ (सड़क के केंद्र से 30 मीटर पूर्व) बिंदु 26°51'18.79" उ 88°49'12.79" पू तक और फिर उत्तर में नए खुनिया वन ग्राम के माध्यम से एनएच-17 तक रेलवे लाइन को पार करते हुए बिंदु 26°53'05.51" उ 88°49'28.73" पू तक जाती है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन के केंद्र से उत्तर की ओर 200 मीटर के साथ पश्चिम में 1.34 किलोमीटर तक, 26°53'4.26"उ 88°48'40.08"पू बिंदु तक और इंडोंग टीजी-किलकोटे टीजी सड़क को पार करके जाती है। फिर, उत्तर की ओर, कच्ची सड़क के केंद्र से 30 मीटर बिंदु 26°53'9.35"उ 88°48'39.39"पू पर, सड़क 26°53'21.32"उ 88°48'39.53"पू तक, और उत्तर पूर्व में बिंदु 26°53'33.13"उ 88°48'53.28"पू पर इंडोंग-किलकोटे टीजी सड़क से मिलने तक और सड़क के पश्चिमी किनारे पर बिंदु 26°54'25.39"उ 88°48'40.54"पू तक जाती है, फिर 2.78 किलोमीटर के लिए उत्तर की ओर जाती है जहां सीमा बिंदु 26°55'59.59"उ 88°48'42.06"पू पर पूर्व की ओर मुड़ती है जब तक कि यह बिंदु 26°56'0.37"उ 88°51'0.41"पू पर मूर्ति नदी से मिलती है। फिर उत्तर की ओर मूर्ति नदी के पश्चिमी तट के साथ बिंदु 26°57'25.35"उ 88°51'18.95"पू तक, फिर ऊपर की ओर बिंदु 26°57'31.76"उ 88°51'6.54"पू और 26°57'39.38"उ 88°51'0.02"पू को छूते हुए बिंदु 26°57'45.79"उ 88°50'56.23"पू तक और सड़क के सहित कुमानी-मूर्ति मोड़ तक जाती है। योंगटोंग टीजी के पूर्वी किनारे के साथ बिंदु 26°58'43.78"उ 88°50'9.58"पू तक, जहां बिंदु 26°58'55.25"उ 88°50'15.56"पू पर यह उत्तर पूर्व दिशा में मूर्ति नदी को पार करके कुमानी टीजी अस्पताल तक जाती है और फिर सड़क के साथ-साथ कुमाई पावर हाउस तक, यह सड़क के पूर्वी भाग के केंद्र से 30 मीटर तक जाती है। फिर उत्तर की ओर कनेक्टिंग सड़क/पथ के साथ बिंदु 27°00'19.03" उ 88°50'28.69" पू तक जाती है।

उपाबंध– IIक

महत्त्वपूर्ण बिंदुओं सहित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

Map of Eco Sensitive Zone of Gorumara National Park

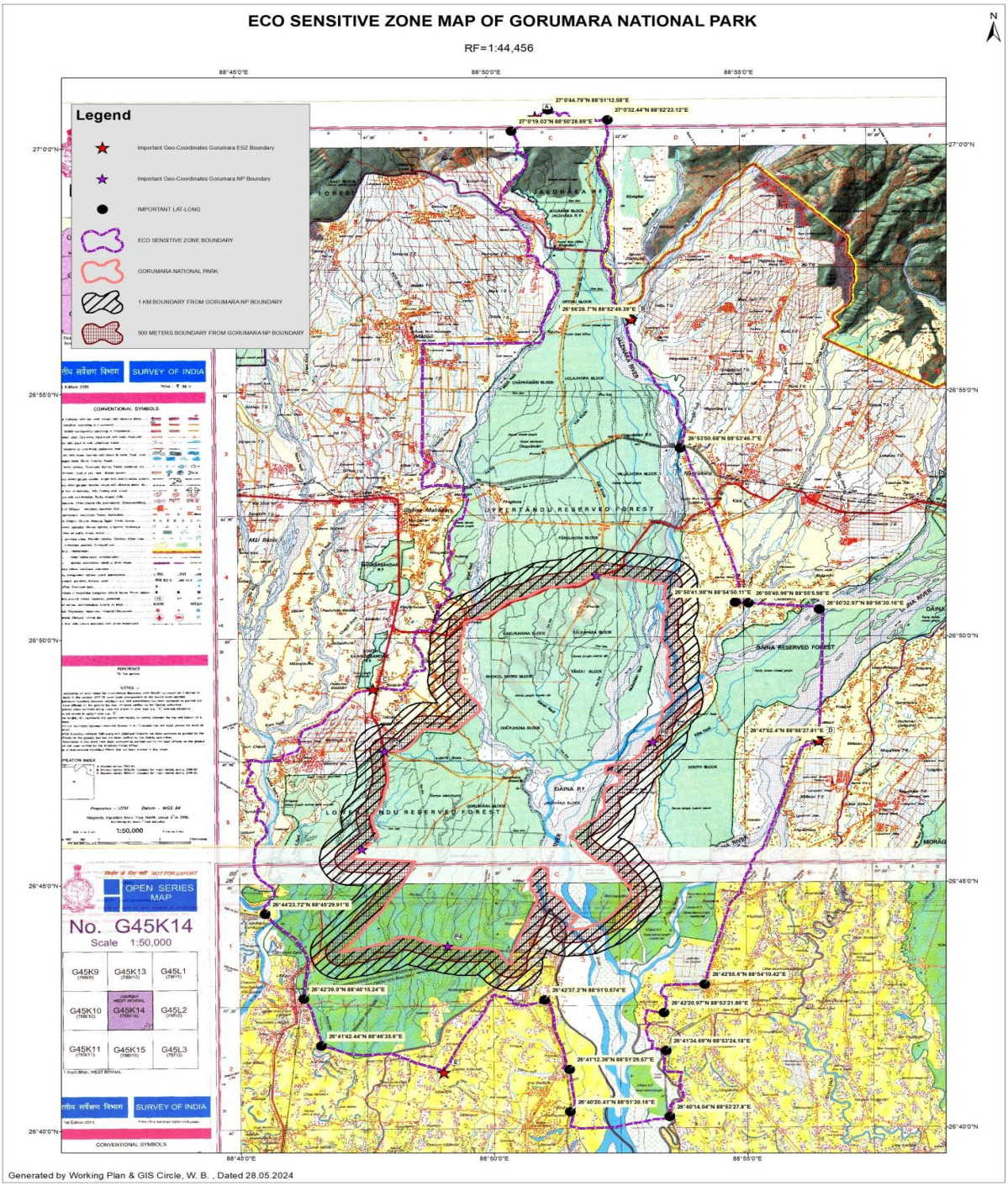


SL_NO	Name	LAT	LONG
1	A	27° 0'36.10"N	88°50'57.09"E
2	B	26°56'28.70"N	88°52'49.39"E
3	C	26°48'58.04"N	88°47'39.56"E
4	D	26°47'52.29"N	88°56'28.01"E
5	E	26°41'9.30"N	88°49'0.53"E
6	P1	26°51'15.76"N	88°52'6.07"E
7	P2	26°47'42.37"N	88°47'53.19"E
8	P3	26°45'42.52"N	88°47'25.41"E
9	P4	26°43'44.13"N	88°49'6.36"E
10	P5	26°47'52.27"N	88°53'11.60"E

Generated by Working Plan & GIS circle, W.B., Dated 15.05.2023

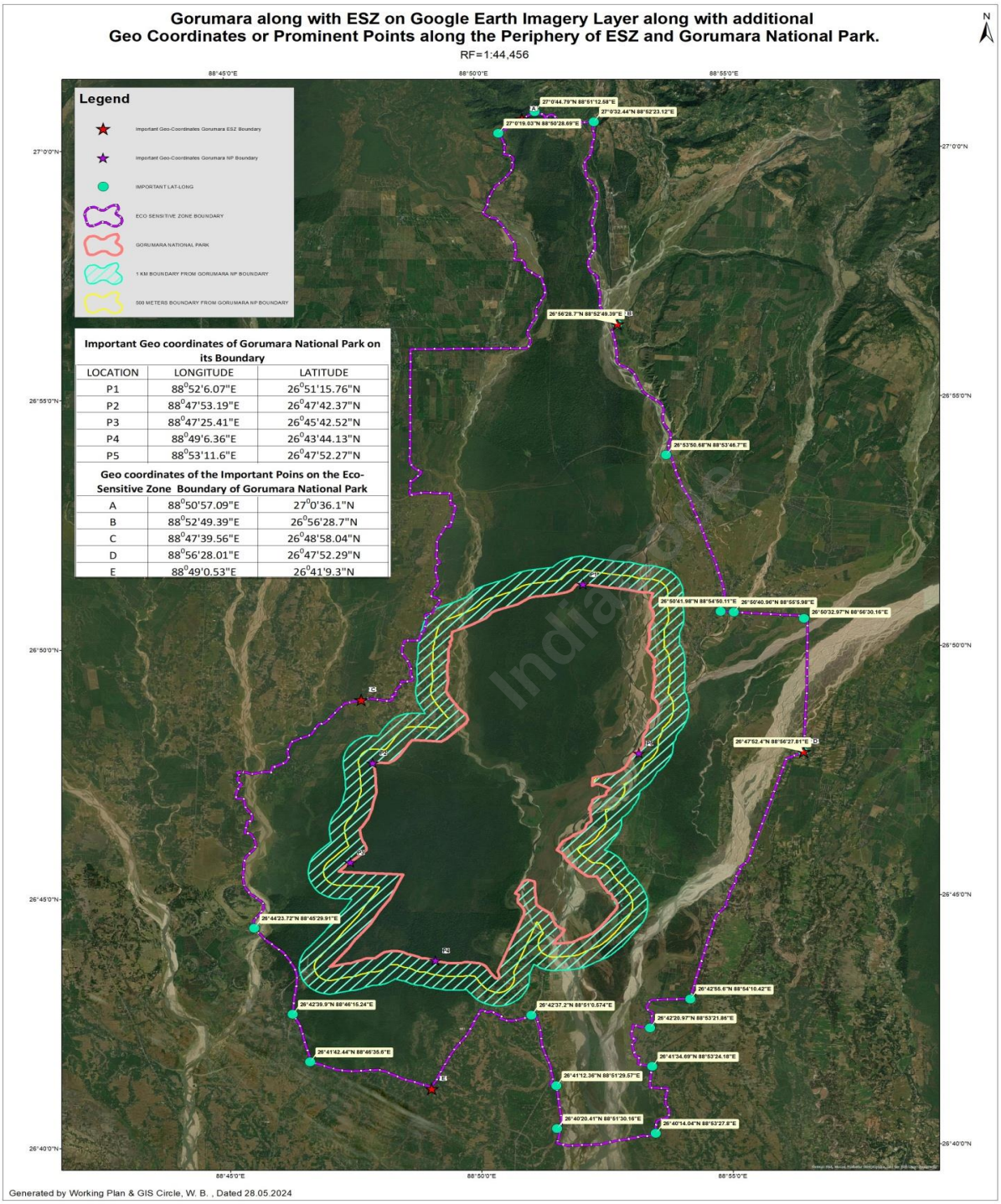
उपाबंध-IIख

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र



उपाबंध-IIग

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी चित्र का मानचित्र



Important Geo coordinates of Gorumara National Park on its Boundary

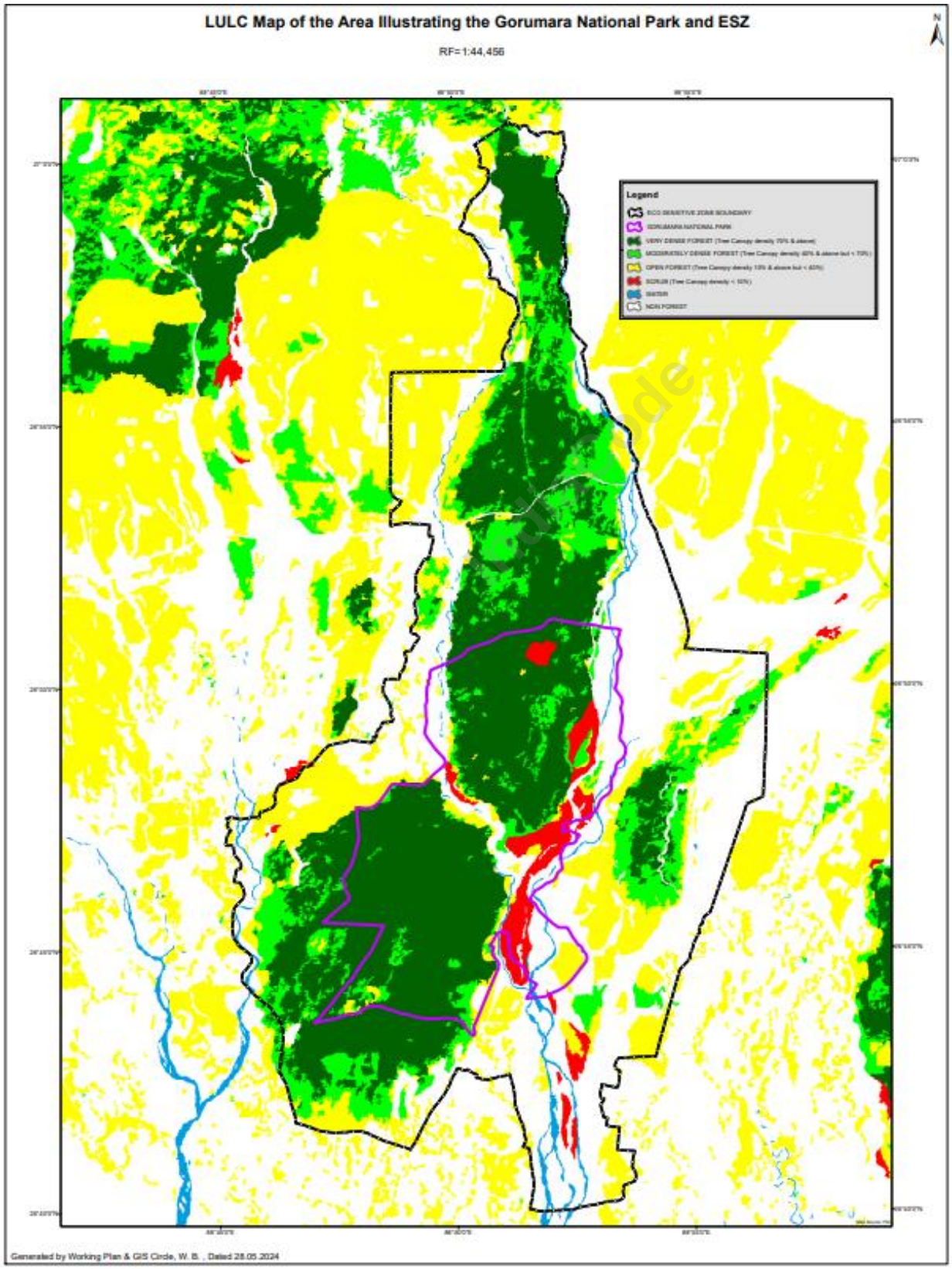
LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
P1	88°52'6.07"E	26°51'15.76"N
P2	88°47'53.19"E	26°47'42.37"N
P3	88°47'25.41"E	26°45'42.52"N
P4	88°49'6.36"E	26°43'44.13"N
P5	88°53'11.6"E	26°47'52.27"N

Geo coordinates of the Important Poins on the Eco-Sensitive Zone Boundary of Gorumara National Park

A	88°50'57.09"E	27°0'36.1"N
B	88°52'49.39"E	26°56'28.7"N
C	88°47'39.56"E	26°48'58.04"N
D	88°56'28.01"E	26°47'52.29"N
E	88°49'0.53"E	26°41'9.3"N

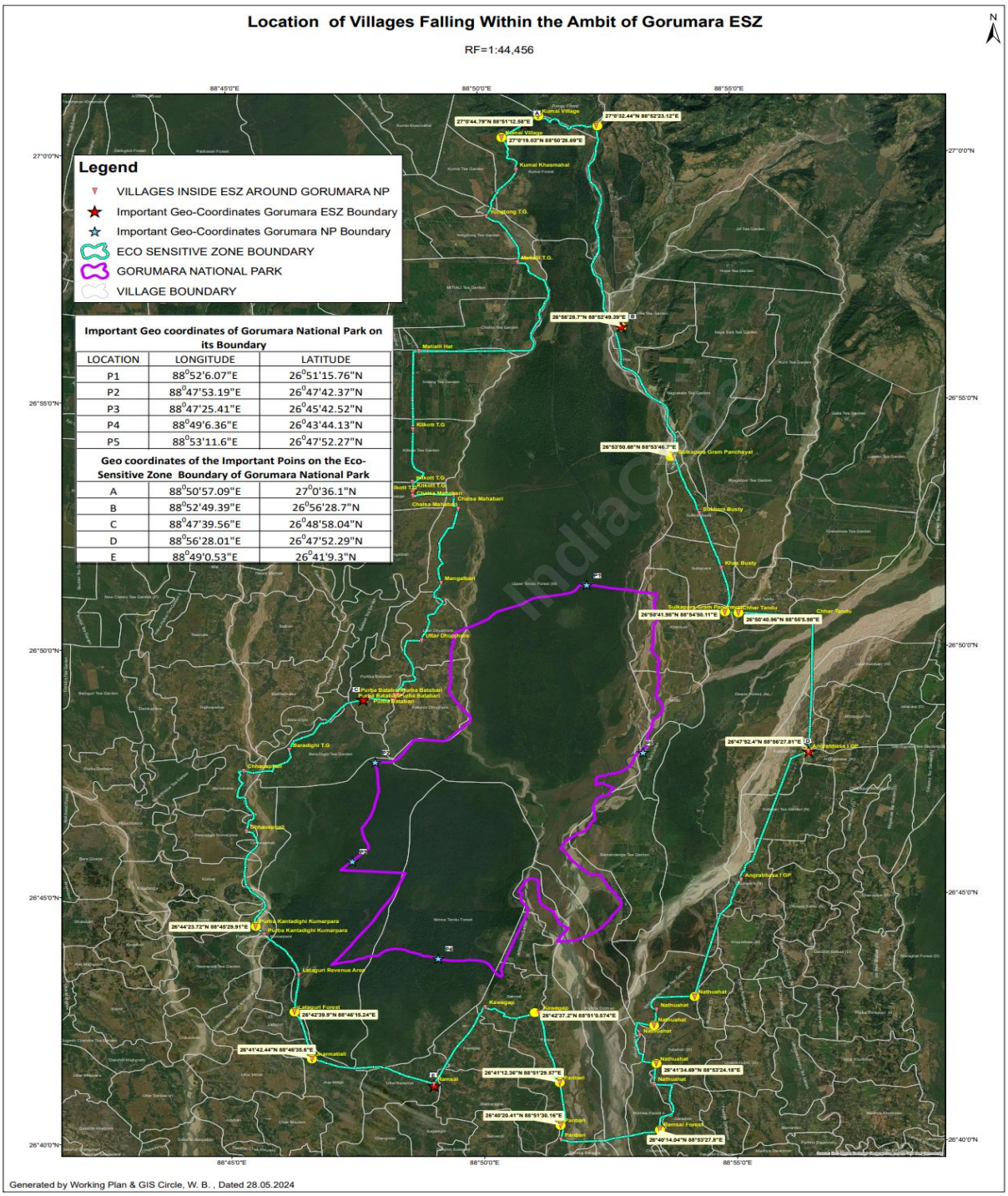
उपाबंध-IIघ

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का लैंड यूज लैंड कवर का मानचित्र



उपाबंध-IIड.

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन मे आने वाले गांवों की स्थिति का मानचित्र



उपाबंध– III

सारणी क: गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर	दिशा
पी1	26°51'15.76"उ	88°52'6.07"पू	उत्तर
पी2	26°47'42.37"उ	88°47'53.19"पू	पश्चिम
पी3	26°45'42.52"उ	88°47'25.41"पू	पश्चिम
पी4	26°43'44.13"उ	88°49'6.36"पू	दक्षिण
पी5	26°47'52.27"उ	88°53'11.60"पू	पूर्व

सारणी ख: गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. स.	देशांतर	देशांतर
1.	22°0’44.79”उ	88°51’12.58”पू
2.	27°0’19.03”उ	88°50’28.69”पू
3.	27°0’32.44”उ	88°52’23.12”पू
4.	26°56’28.7”उ	88°52’49.39”पू
5.	26°53’50.68”उ	88°53’46.7”पू
6.	26°50’41.98”उ	88°54’50.11”पू
7.	26°50’40.96”उ	88°55’5.98”पू
8.	26°50’32.97”उ	88°56’30.16”पू
9.	26°47’52.4”उ	88°56’27.81”पू
10.	26°44’23.72’’उ	88°45’29.91’’पू
11.	26°42’39.9’’उ	88°46’15.24’’पू
12.	26°41’42.44’’उ	88°46’35.6’’पू

IndiaCode

13.	26°42’37.2’’उ	88°51’0.574’’पू
14.	26°41’12.36’’उ	88°51’29.57’’पू
15.	26°40’20.41’’उ	88°51’30.16’’पू
16.	26°40’14.04’’उ	88°53’27.8’’पू
17.	26°41’34.69’’उ	88°53’24.18’’पू
18.	26°42’20.97’’उ	88°53’21.86’’पू
19.	26°42’55.6’’उ	88°54’10.42’’पू

सारणी ग: गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से उनकी दूरी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर	सीमा से न्यूनतम दूरी
क	27° 0'36.10"उ	88°50'57.09"पू	17.00 किलोमीटर
ख	26°56'28.70"उ	88°52'49.39"पू	9.68 किलोमीटर
ग	26°48'58.04"उ	88°47'39.56"पू	2.25 किलोमीटर
घ	26°47'52.29"उ	88°56'28.01"पू	5.20 किलोमीटर
ड.	26°41'9.30"उ	88°49'0.53"पू	5.00 किलोमीटर

उपाबंध–IVक

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	पी.एस का नाम	क्षेत्र	जे.एल. सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर)	खंड	उद्योग/ क्रियाकलाप
1	धुपगुरी	रामसाई वन II	50	486	धुपगुरी	वन
2	बानरहाट	जलढाका-अल्ताडांगा टीजी	24	571.67775	नागराकाटा	चाय कारखाना
3	बानरहाट	धूमपारा	26	515.1438	नागराकाटा	मिश्रित
4	गोरुबथान	कुमाई वन		1460	गोरुबथान	वन
5	गोरुबथान	कुमाई खासमहल	36	310	गोरुबथान	मिश्रित
6	नागराकाटा	नागाकाटा	7	100	नागराकाटा	ग्रामीण बस्ती
7	नागराकाटा	कालाबारी टीजी	27	418.03	नागराकाटा	शून्य
8	नागराकाटा	बामनडांगा टीजी	22	945.7236	नागराकाटा	चाय कारखाना
9	नागराकाटा	तंदु टीजी	21	261.71505	नागराकाटा	चाय कारखाना
10	नागराकाटा	टांडू	20	424.73565	नागराकाटा	शून्य

11	नागराकाटा	खैरबारी	19	691.76835	नागराकाटा	शून्य
12	नागराकाटा	सुलकापारा	18	419.59215	नागराकाटा	शून्य
13	नागराकाटा	सुखानी बस्ती	8	356.31495	नागराकाटा	शून्य
14	नागराकाटा	छरटांडू	17	432.9774	नागराकाटा	शून्य
15	नागराकाटा	चाल्सा वन	1	4690	नागराकाटा	वन
16	नागराकाटा	डायना वन		1430	नागराकाटा	रेलवे लाइन
17	मैनागुड़ी	रामसाय वन	3	1330	मैनागुड़ी	वन
18	मैनागुड़ी	रामसाय	9	640.07415	मैनागुड़ी	पर्यटन
19	मैनागुड़ी	जादबपुरटीजी	10	221.8428	मैनागुड़ी	चाय कारखाना
20	मैनागुड़ी	काओआ गैप	8	479.3823	मैनागुड़ी	मिश्रित
21	मैनागुड़ी	उत्तर कालामति	12	403.57845	मैनागुड़ी	मिश्रित
22	मैनागुड़ी	पनबारी	5	1152.38295	मैनागुड़ी	मिश्रित
23	मैनागुड़ी	डोब्बारी	4	141.88365	मैनागुड़ी	मिश्रित
24	मतैली	इंडोंग टीजी	14	590	मतैली	चाय कारखाना
25	मतैली	किल्कोट टीजी	15	340	मतैली	चाय कारखाना
26	मतैली	छाओआ फली	30	275.01525	मताली	मिश्रित
27	मतैली	बारादिघी टीजी	23	744.39405	मताली	चाय कारखाना
28	मतैली	दक्षिण धूपझोड़ा	28	568.09755	मताली	पर्यटन
29	मतैली	उत्तर धूपझोड़ा	27	405.44145	मताली	पर्यटन
30	मतैली	मंगलबाड़ी	17	246.4506	मताली	सूक्ष्म ग्रामीण बस्ती
31	मतैली	चालसा महाबारी	16	298.53765	मताली	पर्यटन
32	मतैली	पूरबबताबरी	26	539.56125	मताली	पर्यटन
33	मतैली	पश्चिम बताबरी	24	134.40665	मताली	पर्यटन
34	मतैली	बटाबारी टीजी	25	393.47775	मताली	चाय कारखाना
35	माल	पुरबा कांतादिघी कुमारपारा	80	77.31855	माल	शून्य
36	माल	लाटागुड़ी	81	272.8647	माल	पर्यटन
37	माल	दक्षिण कांतादिघी कुमारपारा	82	303.6852	माल	शून्य
38	माल	झार मतैली	92	745.281	माल	पर्यटन
39	माल	उत्तर मतैली	91	562.54905	माल	पर्यटन
40	माल	लाटागुड़ी वन	31	3360	माल	वन ग्राम
कुल क्षेत्र				**27739.9037**		

***मिश्रित- कृषि, लघु कुटीर उद्योग, पशुधन पालन, आवासीय क्षेत्र, दिहाड़ी मजदूर आदि।**

IndiaCode

उपाबंध-IVख

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत उनके जीपीएस विवरण सहित ग्रामों की सूची					
क्र. सं.	**जी.पी.एस. भू-निर्देशांक**	**बिंदु विशिष्टियाँ**	**क्षेत्र/ग्राम**	**जेएल सं.**	**खंड**
1	27˚00'19.03"उ 88˚50'28.69" पू	कुमाई टी.जी	कुमई गांव	36	गोरुबथान
2	27˚00'44.79" उ 88˚51'12.58" पू	नक्श खोला	कुमई गांव	36	गोरुबथान
3	27° 0'32.93"उ 88°52'21.28"पू	जलढाका नदी 1	-	-	गोरुबथान
4	26°56'38.50"उ 88°52'37.23"पू	जलढाका नदी 2	-	-	गोरुबथान
5	26°52'41.09"उ 88°54'20.50"पू	सुखानी बस्टी	सुखानी बस्टी	8	नागराकाटा
6	26°51'35.23"उ 88°54'45.90"पू	खास बस्टी	खास बस्टी	8	नागराकाटा
7	26°53'50.07"उ 88°53'51.68"पू	सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन	सुलकापारा ग्राम पंचायत	8	नागराकाटा
8	26°50'41.98"उ 88°54'50.11"पू	सुल्कापारा वन विश्राम गृह	सुलकापारा ग्राम पंचायत	18	नागराकाटा
9	26°50'40.96"उ 88°55'5.98"पू	गाथिया नदी	छार टांडू	17	नागराकाटा
10	26°50'35.77"उ 88°56'34.15"पू	छार तंदु में नदी तल पर बिंदु	छार टांडू	17	नागराकाटा
11	26˚47'52.40" उ 88˚56'27.81" पू	कालाबारी	अंगराभास I जी.पी	28	नागराकाटा
12	26°45'16.43" उ 88°55'6.58" पू	धूमपारा	अंगराभास I जी.पी	26	नागराकाटा
13	26˚42'55.60" उ 88˚54'10.42" पू	गैरकाटा क्वाडजंक्चर	नाथुआहाट	24	नागराकाटा
14	26°42'39.52"उ 88°53'25.03" पू	मझियाली बस्टी प्राइमरी स्कूल	नाथुआहाट	24	नागराकाटा

IndiaCode

15	26°42'21.41"उ 88°53'22.03"पू	नाथुआहाट	नाथुआहाट	24	बानरहाट
16	26°42'8.29"उ 88°53'4.71"पू	पुरबा डोब्बारी	नाथुआहाट	42	बानरहाट
17	26˚41'34.69"उ 88˚53'24.18" पू	फटाकतरी	नाथुआहाट	42	बानरहाट
18	26°41'9.51"उ 88°53'21.22"पू	बिबाड़ी बाग फुटबॉल मैदान	नाथुआहाट	49	धुपगुरी
19	26°40'14.53"उ 88°53'27.43"पू	गैरकटा रोड	रामसाई वन	3	बानरहाट
20	26°40'2.55"उ 88°51'30.30"पू	रामसाई आई	पनबारी	5	मैनागुड़ी
21	26˚40'20.41" उ 88˚51'30.16" पू	रामसाय द्वितीय	पनबारी	5	मैनागुड़ी
22	26˚41'12.36" उ 88˚51'29.57" पू	कमरघाट	पनबारी	5	मैनागुड़ी
23	26°42'37.00"उ 88°51'5.83"पू	पनबारी - रामसाई रोड	कावागैप	8	मैनागुड़ी
24	26°42'44.03"उ 88°50'1.64"पू	पनबारी - रामसाई रोड	कावागैप	8	मैनागुड़ी
25	26°41'11.05"उ 88°49'0.01"पू	कैनाल रोड	रामसाय	9	मैनागुड़ी
26	26˚41'42.44" उ 88˚46'35.60" पू	झरमटियाली	झरमटियाली	92	मैनागुड़ी
27	26˚42'39.90" उ 88˚46'15.24" पू	बिछभंगा I कॉम्पट।	लाटागुड़ी वन	31	माल
28	26°43'24.26"उ 88°46'20.70"पू	लातागुड़ी फ्लाईओवर	लाटागुड़ी राजस्व क्षेत्र	81	माल
29	26°44'13.33"उ 88°45'39.94"पू	नेओरा नदी रेल पुल	पुरबा कांतादिघी कुमारपारा	82	माल
30	26˚44'23.72" उ 88˚45'29.91" पू	नेउरा नदी	पुरबा कांतादिघी कुमारपारा	80	माल

IndiaCode

31	26°46'18.46"उ 88°45'19.58"पू	छाओफली	छाओफली	30	माल
32	26˚47'32.04" उ 88˚45'16.83" पू	निच चालसा	छाओफली	30	माल
33	26°47'57.19"उ 88°46'10.88"पू	बारादिघी टी.जी	बारादिघी टीजी	23	मताली
34	26˚49'00.00" उ 88˚47'46.98" पू	बटाबरी फार्म मोर	पूरब बताबारी	26	मताली
35	26°48'56.60"उ 88°48'13.71"पू	पीएमजीएसवाई 1	पूरब बताबारी	26	मताली
36	26°48'59.22"उ 88°48'17.37" पू	पीएमजीएसवाई 2	पूरब बताबारी	26	मताली
37	26°49'3.43"उ 88°48'16.45"पू	पीएमजीएसवाई 3	पूरब बताबारी	26	मताली
38	26°49'3.56"उ 88°48'20.40"पू	पीएमजीएसवाई 4	पूरब बताबारी	26	मताली
39	26°50'9.19"उ 88°48'49.29"पू	जिला परिषद रोड	उत्तर धूपझोड़ा	27	मताली
40	26˚51'18.79"उ 88˚49'12.79" पू	इंडोंग एफ.वी. रोड	मंगलबाड़ी	17	मताली
41	26°52'48.66"उ 88°49'33.84"पू	न्यू खुनिया एफ.वी	चालसा महाबारी	16	मताली
42	26˚53'05.51" उ 88˚49'28.73" पू	रेललाइन क्रॉसिंग पॉइंट	चालसा महाबारी	16	मताली
43	26°53'9.35"उ 88°48'39.39"पू	किल्कोट रोड	किल्कोट टीजी	15	मताली
44	26°53'4.29"उ 88°48'40.08"पू	बाघेर तारी बस्ति	चालसा महाबारी	16	मताली
45	26°53'11.50"उ 88°48'40.48"पू	पड़री कुठी बस्टी	किल्कोट टीजी	15	मताली
46	26°53'21.24"उ 88°48'39.61"पू	किल्कोट टी.जी.आई	किल्कोट टीजी	15	मताली

IndiaCode

47	26°54'25.39"उ 88°48'40.54"पू	किल्कोट टी.जी. II	किल्कोट टीजी	15	मताली
48	26°55'59.96"उ 88°48'42.37"पू	मटेली	मटियाली टोपी	12	मताली
49	26°57'47.11"उ 88°50'46.46"पू	माटेली टी.जी मूरटी डिवीजन टॉप लाइन	मटियाली टी.जी	10	मताली
50	26°58'43.21"उ 88°50'9.73"पू	योंगटोंग टी.जी	योंगटोंग टी.जी	9	गोरुबथान
51	26°59'39.62"उ 88°50'45.46" पू	कुमाई खासमहल	कुमाई खासमहल	36	गोरुबथान

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।)
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में उपाबद्ध करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में उपबद्ध करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में उपबद्ध करें)।
7. पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2024

S.O. 5132(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4952(E), dated the 16th November, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 16th November, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were considered by the Central Government;

IndiaCode

AND WHEREAS**,** Gorumara National Park in Jalpaiguri District of West Bengal with an area of 79.45 square kilometers, was notified by the State Government of West Bengal vide notification dated the 1st January, 1998 and is home to about 55 Great Indian One Horned Rhinoceros, one of the last populations of the species globally;

AND WHEREAS, the National Park acts as a crucial corridor for the movement of the Indian Elephant and harbours about 1000 Gaurs, Leopards along with other lesser cats, numerous herbivores and about 300 species of birds and about same number of butterflies, and has great significance in the forested landscape of Jalpaiguri district along with its forest, riverine ecosystem and adjoining tea gardens and villages including their diverse ethnicities;

AND WHEREAS, Gorumara National Park supports a number of species specified under Schedule-I of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) that *inter alia,*includes the Great Indian One Horned Rhinoceros (*Rhinoceros unicornis)*, Indian Elephant (*Elephas maximus*), Gaur (*Bos gaurus*), Leopard (*Panthera pardus)*, Indian Rock Python (*Python molurus*), Malayan Giant Squirrel (*Ratufa bicolor*), Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis*), Fishing Cat (*Prionailurus viverrinus*), Hill Myna (*Gracula religiosa*), Indian Peafowl (*Pavo cristatus*), Indian Grey Hornbill (*Ocyceros birostris*), etc.;

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of this rich floral and faunal biodiversity of Gorumara National Park, the extent of anthropogenic pressure in the periphery of the park has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is ecologically sensitive and exert great impact on this Protected Area;

AND WHEREAS, the dynamic nature of main river systems of Murti and Jaldhaka along with their tributaries and rivulets has a direct impact on the wildlife in the park, and therefore, it is necessary to conserve and protect the areas around Gorumara National Park for improvement and development the wildlife habitat therein and in the landscape;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Gorumara National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 kilometer to 17.0 kilometers from the boundary of Gorumara National Park, in Jalpaiguri district in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.-(1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent varying from 1.0 kilometer to 17.0 kilometers from the boundary of Gorumara National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 278 Square kilometers.

(2) The boundary description of Gorumara National Park and its Eco-Sensitive Zone is appended as **Table A** and **Table B** in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Gorumara National Park demarcating Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-**II A, Annexure-II B, Annexure-II C, Annexure-II D** and **Annexure-II E.**

(4) List of important geo-coordinates of the National Park and its Eco-sensitive Zone are appended as **Table A, Table B and Table C** in **Annexure- III.**

(5) The list of areas falling in the proposed Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-IV A** and villages falling under Eco-Sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IV B.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone .-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare and notify a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant laws for the time being in force and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely.-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipality;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so prepared and notified shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified in sub-para (1) and (2) of paragraph 6.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be

corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) Activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment Act, and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment Act and the rules made thereunder.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-

biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall he permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016;

(b) safe and environmentally sound management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(13) E-waste.- The E - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted and pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.

3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other	Regulated under applicable laws and underground cabling may be promoted.

indiacode

	infrastructures.	
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land or Forests or Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment Act, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

(i)	Concerned District Collector	Chairman; *ex-officio*
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of environment and wildlife conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period not exceeding three years for each term	Member;
(iii)	An expert in the area of ecology or environment to be nominated by the State Government from time to time every three years	Member;
(iv)	Member of State Biodiversity Board	Member; *ex-officio*
(v)	A representative from State Public Works Department	Member; *ex-officio*
(vi)	A representative from State Pollution Control Board	Member; *ex-officio*
(vii)	The Divisional Forest Officer, in charge of Gorumara National Park	Member-Secretary; *ex-officio*

6. Functions of Monitoring Committee –(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector concerned or the Deputy Conservator of Forests concerned shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in .

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/24/2018/ESZ]

Dr. S. KERKETTA, SCIENTIST 'G'

IndiaCode

ANNEXURE- I

Table A: Boundary Description of the Eco-sensitive Zone of Gorumara National Park

Direction	Description
North	Forests of Kalimpong Forest Division, up to Bhutan Border.
East	Along Jaldhaka River in the East, till the Siliguri-Alipurduar Railway line, further South along Eastern part of Sulkapara Road, including the Forest of Diana Range, the Western side of Karbala Road, and then Gairkata Road, up to Ramsai Forest under Nathua Range of Jalpaiguri Forest Division.
South	North of Hindustan More, Eastern side of Ramsai Road, cutting across to Kaoagap-Ramsai Road, along the road till the irrigation canal and further along the canal till the Lataguri-Mal railway line.
West	Along the Mal-Lataguri Railway line from Lataguri, further north along the right Bank of the river Neora, western edge of Baradighi tea garden, along eastern side of PMGSY road, Banglapara Road, Chorok Road and southern side of Uttar Dhupjhora Road, Zilla parishad road to Panjhora Forest under Jalpaiguri division, crossing NH-17, Siliguri-Alipurduar railwayline further North along Kilkote-Indong TG road and then the Murti River up to Kumai Forest.

Table B: Detailed description of the Boundary of the Eco- sensitive Zone of Gorumara National Park along with Important Geo Coordinate References

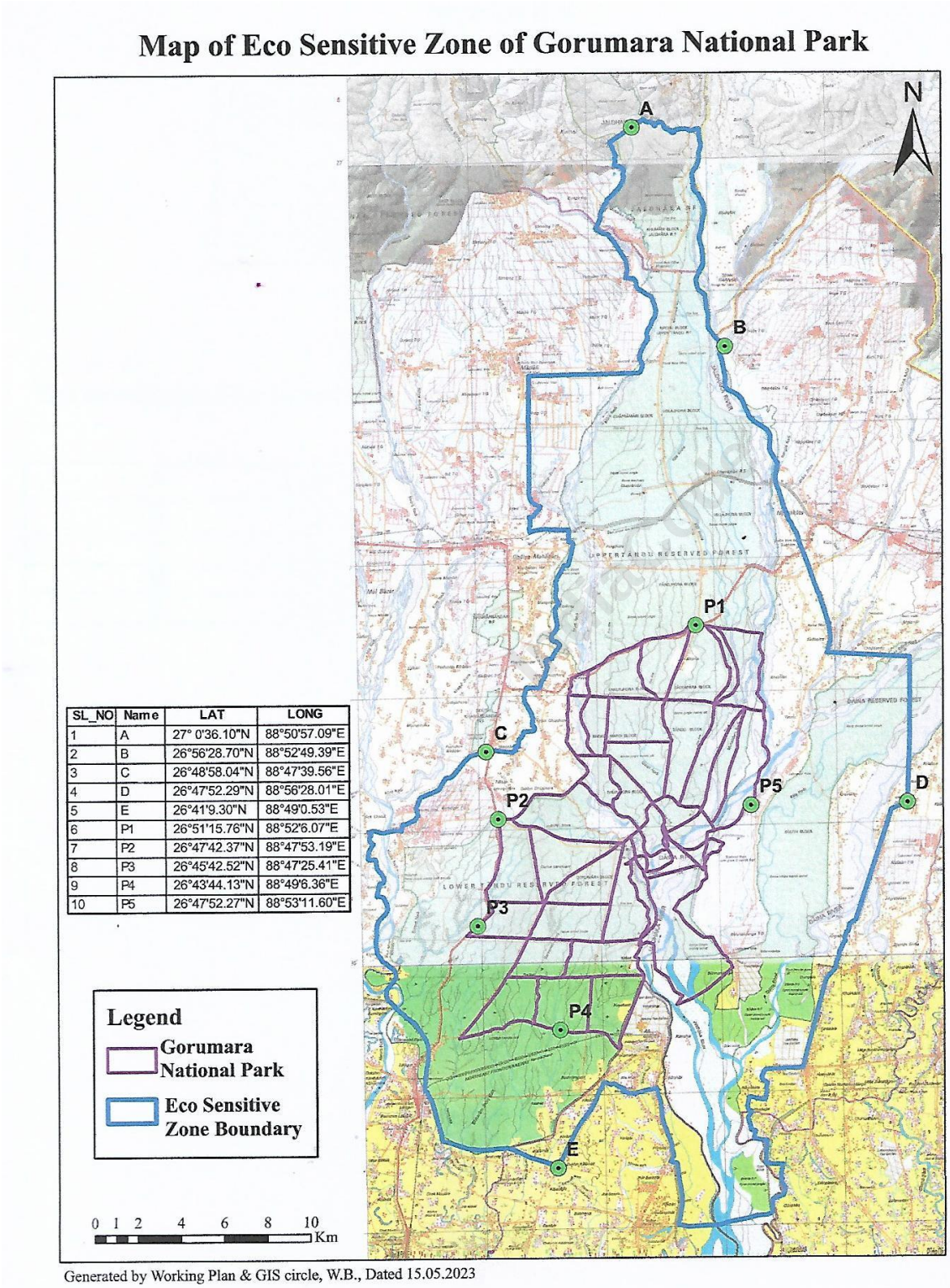
Direction	Description
Northern	From the point 27˚00'19.03" N 88˚50'28.69", then towards north-east up to 30m from the centre of Naksa Khola (right bank) at point 27˚00'44.79" N 88˚51'12.58" E and then along Naksa Khola up to Bhutan border till point 27˚00'32.44" N 88˚52'23.12" E.
Eastern	Along Bhutan boundary from point 27˚00'32.44" N 88˚52'23.12" E to 26°56'28.70"N 88°52'49.39"E along the eastern side of River Jaldhaka till point 26°53'50.68"N 88°53'46.70"E where it crosses the Siliguri- Alipurduar railway line and meets the Nagrakata-Sukhanibasty road which connects to Sulkapara after crossing NH-17 and turns east at point 26°50'41.98"N 88°54'50.11"E up to Sulkapara Forest Rest house. Then towards east, crossing Gathiya River at point 26°50'40.96"N 88°55'5.98"Efurther 2.72 km east on the same line up to point 26˚50'32.97" N 88˚56'30.16" E. Then, down towards South for 5km up to 26˚47'52.40" N 88˚56'27.81" E ,then along the western flank of Kalabari road, at 30m from the center of the road, joining Gairkata Road up to Nathua Bazar at point 26˚42'55.60" N 88˚54'10.42" E and then along Majhiali road at a distance of 30m up to point 26˚42'20.97" N 88˚53'21.86" E, then along the connecting road via Ramsai Picnic spot up to the point 26˚41'34.69" N 88˚53'24.18" E , and then towards east till 30m from center of Gairkata Road and further south up to point 26˚40'14.04" N 88˚53'27.80" E.
Southern	From point 26˚40'14.04" N 88˚53'27.80" E , towards western direction crossing Jaldhaka River, and further west up to point 26˚40'20.41" N 88˚51'30.16" E , then along the road at 30 m distance from the center of the road up to point 26˚41'12.36" N 88˚51'29.57" E , west up to Ramsai Road, up to point 26˚42'37.02" N 88˚51'0.574" E, west up to Kaoagap road , south along the road up to the canal at a distance of 30m. Further, 30m north from the centre of the canal, along the canal at a distance of 30m up to the point 26˚41'42.44" N 88˚46'35.60" E, then east of the connecting road (30m distance from the centre of the road) up to the Lataguri-Mal railway line at 26˚42'39.90" N 88˚46'15.24" E.
Western	Towards west along the Lataguri-Mal railway line, at 30m from the centre of the line in eastern side till the Rail bridge on Neora river up to point 26˚44'23.72" N 88˚45'29.91" E, and then along the western bank of the Neora river at 200m from centre of the main stream till the point 26˚47'32.04" N 88˚45'16.83" E. The across Neora river till PMGSY road on the eastern side of the river, crossing it at point 26˚49'00.00" N 88˚47'46.98" E, then along the PMGSY road (30m distance from the centre of the road) then along Bangapara Road (30m distance from the centre of the road), then along Uttar Dhupjhora road (30m distance from the centre of the road) up to point 26˚50'10.29" N 88˚48'48.39" E, then further north along Zilla Parishad road (30m east from the centre of the road) till the point 26˚51'18.79" N 88˚49'12.79" E and then north up to NH-17 via new Khunia Forest Village, crossing the railway line at the point 26˚53'05.51" N 88˚49'28.73" E. Further west for 1.34 km along 200m from the centre of the Siliguri- Alipurduar

	Railway line towards the north, till the point 26°53'4.26"N 88°48'40.08"E and crossing Indong TG- Kilkote TG road. Then, northwards, 30m from the centre of the kachha road at point 26°53'9.35"N 88°48'39.39"E, along the road till 26°53'21.32"N 88°48'39.53"E, and north east till it meets the Indong-Kilkote TG road at point 26°53'33.13"N 88°48'53.28"E and along the western side of the road till point 26°54'25.39"N 88°48'40.54"E, then further north for 2.78km where the boundary turns east at point 26°55'59.59"N 88°48'42.06"E till it meets Murti River at point 26°56'0.37"N 88°51'0.41"E. Then northwards along the western bank of River Murti till the point 26°57'25.35"N 88°51'18.95"E, then upland touching the points 26°57'31.76"N 88°51'6.54"E and 26°57'39.38"N 88°51'0.02"E till point 26°57'45.79"N 88°50'56.23"E and along the road till Kumani-Murti more. Along the eastern edge of Yongtong TG till the point 26°58'43.78"N 88°50'9.58"E where it crosses Murti River in North east direction to Kumani TG Hospital at point 26°58'55.25"N 88°50'15.56"E and then along the road upto Kumai Power House, 30m from the centre of the road on its eastern side. Then towards north along the connecting road/path up to point 27˚00'19.03" N 88˚50'28.69" E.

IndiaCode

Annexure –II-A

Map of Eco-sensitive Zone of Gorumara National Park with Important Points

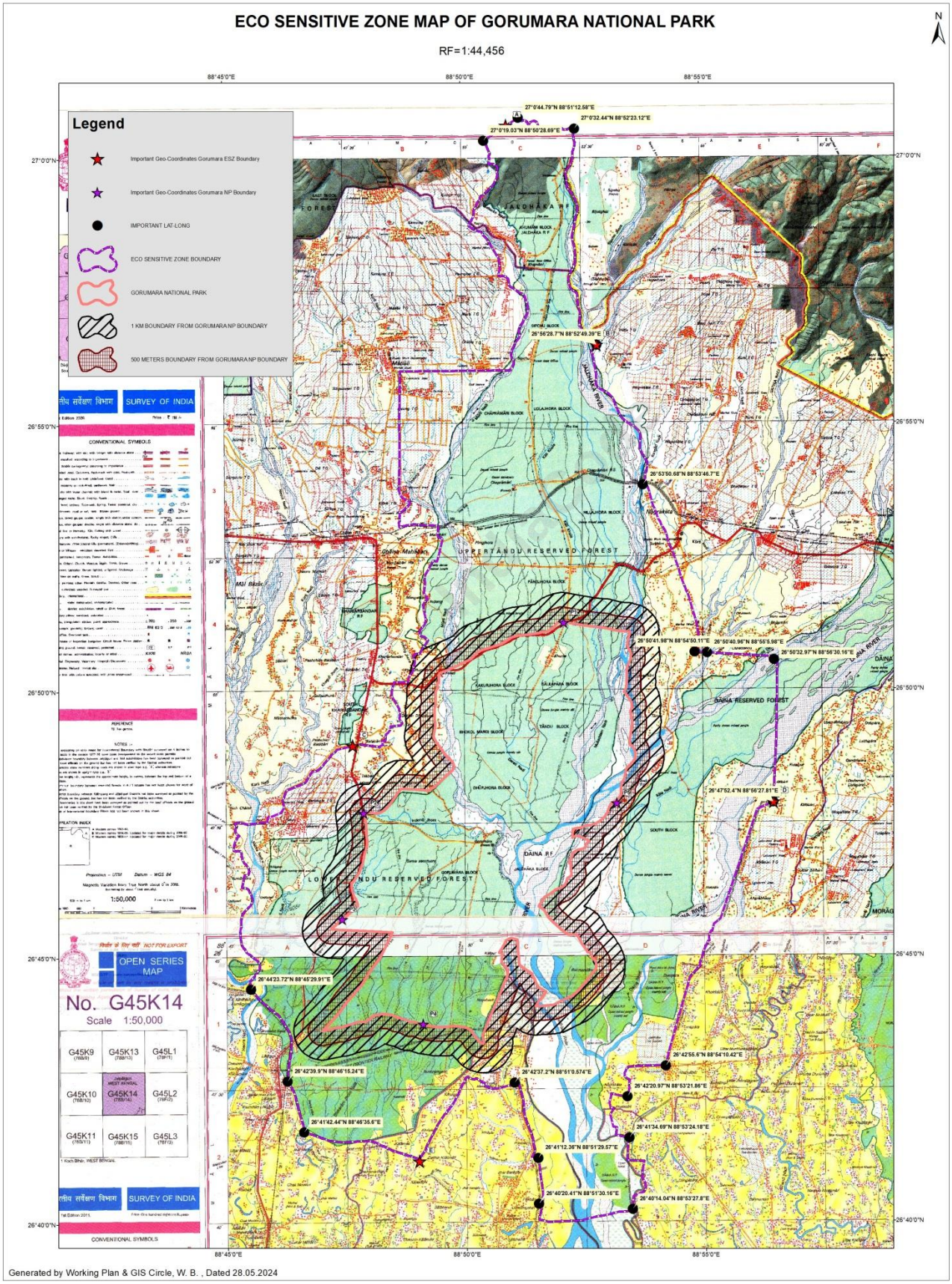


SL_NO	Name	LAT	LONG
1	A	27° 0'36.10"N	88°50'57.09"E
2	B	26°56'28.70"N	88°52'49.39"E
3	C	26°48'58.04"N	88°47'39.56"E
4	D	26°47'52.29"N	88°56'28.01"E
5	E	26°41'9.30"N	88°49'0.53"E
6	P1	26°51'15.76"N	88°52'6.07"E
7	P2	26°47'42.37"N	88°47'53.19"E
8	P3	26°45'42.52"N	88°47'25.41"E
9	P4	26°43'44.13"N	88°49'6.36"E
10	P5	26°47'52.27"N	88°53'11.60"E

Generated by Working Plan & GIS circle, W.B., Dated 15.05.2023

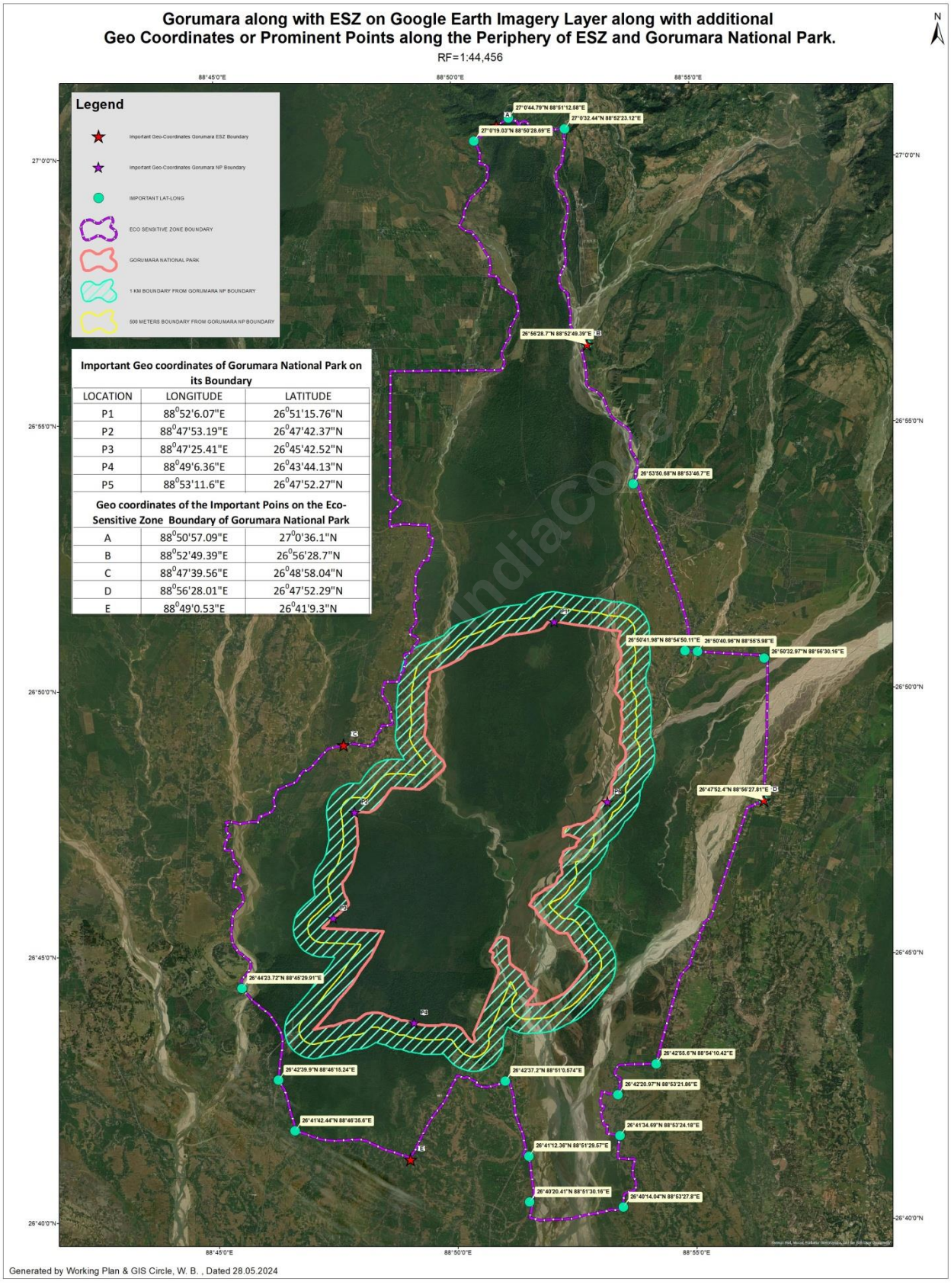
Annexure II –B

Toposheet Map of Eco- sensitive Zone around Gorumara National Park



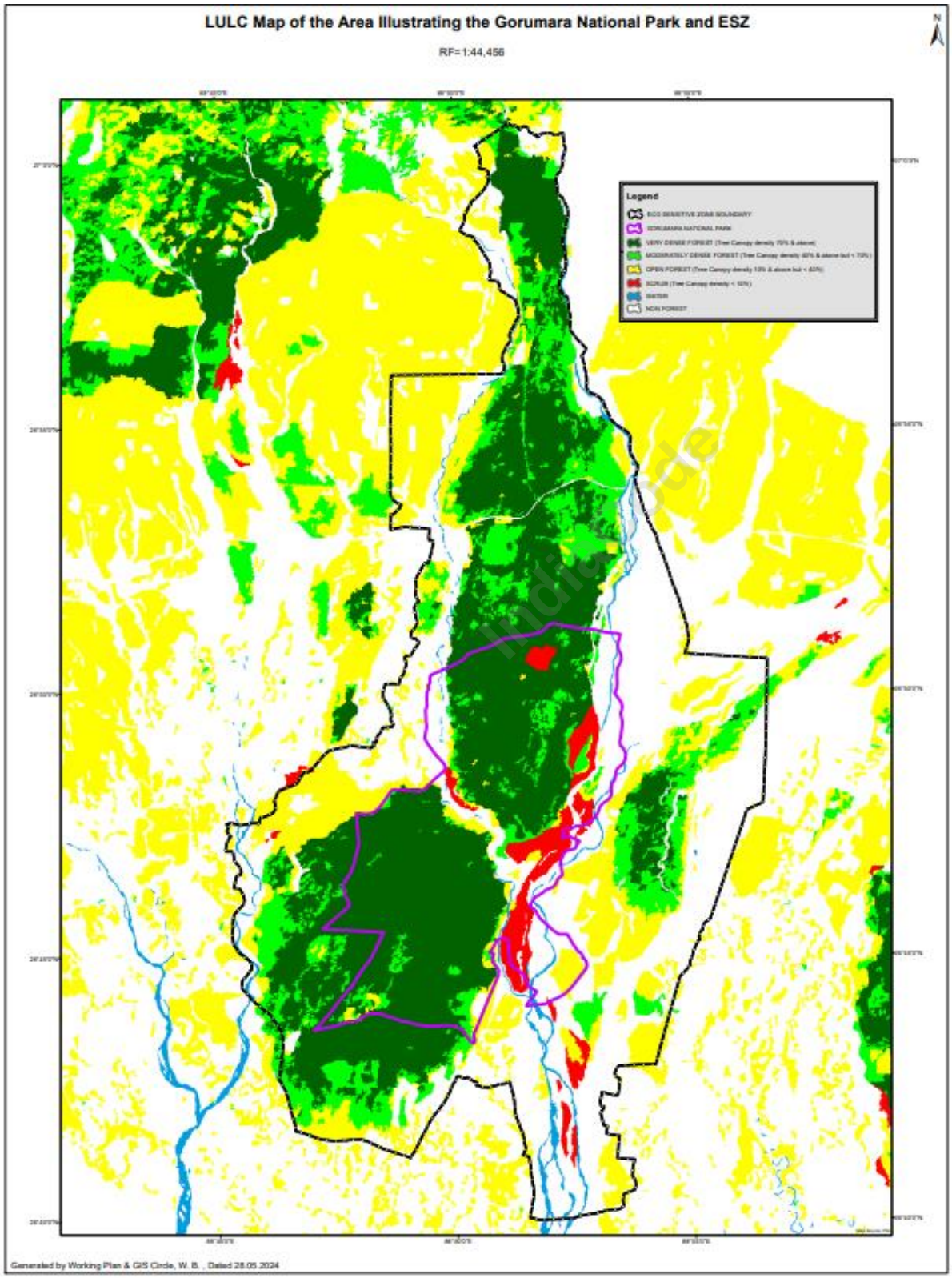
Annexure II -C

Google Earth Imagery Map of Eco- sensitive Zone around Gorumara National Park



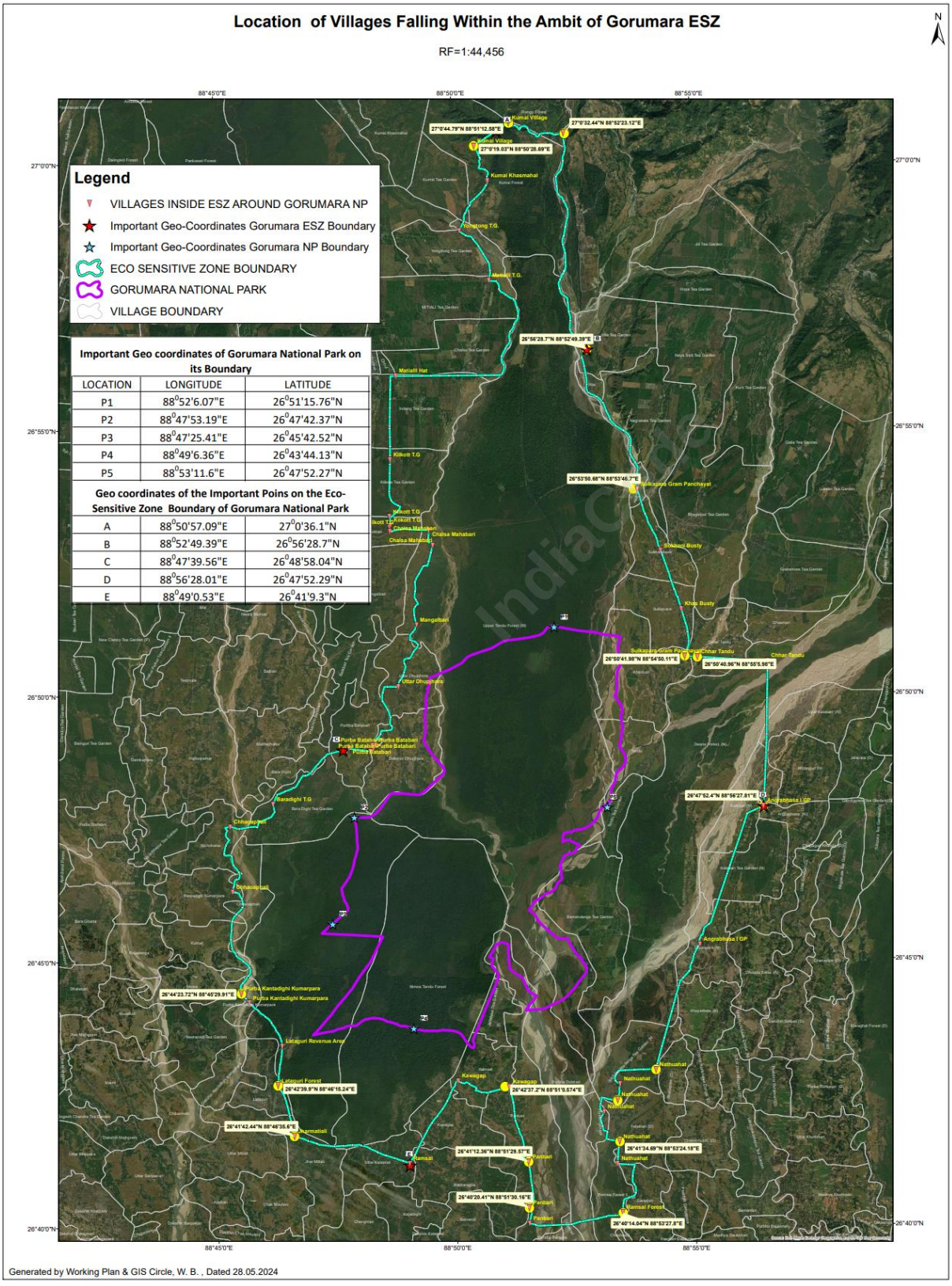
AnnexureII - D

Land Use Land Cover Map of Eco- sensitive Zone around Gorumara National Park



Annexure II -E

Location Map of villages falling under Eco- sensitive Zone around Gorumara National Park



Important Geo coordinates of Gorumara National Park on its Boundary

LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
P1	88°52'6.07"E	26°51'15.76"N
P2	88°47'53.19"E	26°47'42.37"N
P3	88°47'25.41"E	26°45'42.52"N
P4	88°49'6.36"E	26°43'44.13"N
P5	88°53'11.6"E	26°47'52.27"N

Geo coordinates of the Important Poins on the Eco-Sensitive Zone Boundary of Gorumara National Park

A	88°50'57.09"E	27°0'36.1"N
B	88°52'49.39"E	26°56'28.7"N
C	88°47'39.56"E	26°48'58.04"N
D	88°56'28.01"E	26°47'52.29"N
E	88°49'0.53"E	26°41'9.3"N

Annexure- III

TABLE A Geo coordinates of the Important Points of Gorumara National Park

Point	Latitude	Longitude	Direction
P1	26°51'15.76"N	88°52'6.07"E	North
P2	26°47'42.37"N	88°47'53.19"E	West
P3	26°45'42.52"N	88°47'25.41"E	West
P4	26°43'44.13"N	88°49'6.36"E	South
P5	26°47'52.27"N	88°53'11.60"E	East

TABLE B: Geo coordinates of the Important Points of Eco-sensitive Zone around Gorumara National Park

Sl.No	Latitude	Longitude
1.	22°0’44.79”N	88°51’12.58”E
2.	27°0’19.03”N	88°50’28.69”E
3.	27°0’32.44”N	88°52’23.12”E
4.	26°56’28.7”N	88°52’49.39”E
5.	26°53’50.68”N	88°53’46.7”E
6.	26°50’41.98”N	88°54’50.11”E
7.	26°50’40.96”N	88°55’5.98”E
8.	26°50’32.97”N	88°56’30.16”E
9.	26°47’52.4”N	88°56’27.81”E
10.	26°44’23.72’’N	88°45’29.91’’E
11.	26°42’39.9’’N	88°46’15.24’’E
12.	26°41’42.44’’N	88°46’35.6’’E
13.	26°42’37.2’’N	88°51’0.574’’E
14.	26°41’12.36’’N	88°51’29.57’’E
15.	26°40’20.41’’N	88°51’30.16’’E
16.	26°40’14.04’’N	88°53’27.8’’E
17.	26°41’34.69’’N	88°53’24.18’’E

IndiaCode

18.	26°42’20.97’’N	88°53’21.86’’E
19.	26°42’55.6’’N	88°54’10.42’’E

TABLE C: Geo coordinates of the important points of Eco-sensitive Zone around Gorumara National Park and their Distance from the Boundary of the Gorumara National Park

Point	Latitude	Longitude	Shortest Distance from the Boundary
A	27° 0'36.10"N	88°50'57.09"E	17.00 km
B	26°56'28.70"N	88°52'49.39"E	9.68 km
C	26°48'58.04"N	88°47'39.56"E	2.25 km
D	26°47'52.29"N	88°56'28.01"E	5.20 km
E	26°41'9.30"N	88°49'0.53"E	5.00 km

Annexure- IV A

LIST OF AREAS FALLING INSIDE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND GORUMARA NATIONAL PARK

SN	Name of PS	Area	JL No	Area (Ha)	Block	Industry/ activities
1	Dhupguri	Ramsai Forest II	50	486	Dhupguri	Forest
2	Banarhat	Jaldhaka-Altadanga TG	24	571.67775	Nagrakata	Tea factory
3	Banarhat	Dhumpara	26	515.1438	Nagrakata	Mixed
4	Gorubathan	Kumai Forest		1460	Gorubathan	Forest
5	Gorubathan	Kumai Khasmahal	36	310	Gorubathan	Mixed
6	Nagrakata	Nagrakata	7	100	Nagrakata	Rural Habitation
7	Nagrakata	Kalabari TG	27	418.03	Nagrakata	Nil
8	Nagrakata	Bamandanga TG	22	945.7236	Nagrakata	Tea factory
9	Nagrakata	Tandu TG	21	261.71505	Nagrakata	Tea factory
10	Nagrakata	Tandu	20	424.73565	Nagrakata	Nil
11	Nagrakata	Khairbari	19	691.76835	Nagrakata	Nil
12	Nagrakata	Sulkapara	18	419.59215	Nagrakata	Nil
13	Nagrakata	Sukhani Basti	8	356.31495	Nagrakata	Nil
14	Nagrakata	ChharTandu	17	432.9774	Nagrakata	Nil
15	Nagrakata	Chalsa Forest	1	4690	Nagrakata	Forest
16	Nagrakata	Diana Forest		1430	Nagrakata	Rly line
17	Maynaguri	Ramsai Forest	3	1330	Maynaguri	Forest
18	Maynaguri	Ramsai	9	640.07415	Maynaguri	Tourism
19	Maynaguri	JadabpurTg	10	221.8428	Maynaguri	Tea factory
20	Maynaguri	Kaoa Gap	8	479.3823	Maynaguri	Mixed
21	Maynaguri	Uttar Kalamati	12	403.57845	Maynaguri	Mixed

IndiaCode

22	Maynaguri	Panbari	5	1152.38295	Maynaguri	Mixed
23	Maynaguri	Dobbari	4	141.88365	Maynaguri	Mixed
24	Matiali	Indong TG	14	590	Matiali	Tea factory
25	Matiali	Kilkott TG	15	340	Matiali	Tea factory
26	Matiali	Chhaoa Phali	30	275.01525	Matali	Mixed
27	Matiali	Baradighi TG	23	744.39405	Matali	Tea factory
28	Matiali	Dakshin Dhupjhora	28	568.09755	Matali	Tourism
29	Matiali	Uttar Dhupjhora	27	405.44145	Matali	Tourism
30	Matiali	Mangalbari	17	246.4506	Matali	Small rural habitation
31	Matiali	Chalsa Mahabari	16	298.53765	Matali	Tourism
32	Matiali	PurbaBatabari	26	539.56125	Matali	Tourism
33	Matiali	Paschim Batabari	24	134.40665	Matali	Tourism
34	Matiali	Batabari TG	25	393.47775	Matali	Tea factory
35	Mal	Purba kantadighi Kumarpara	80	77.31855	Mal	Nil
36	Mal	Lataguri	81	272.8647	Mal	Tourism
37	Mal	Daksin Kantadighi Kumarpara	82	303.6852	Mal	Nil
38	Mal	Jhar Matiali	92	745.281	Mal	Tourism
39	Mal	Uttar Matiali	91	562.54905	Mal	Tourism
40	Mal	Lataguri Forest	31	3360	Mal	Forest village
Total Area				**27739.9037**		

***Mixed- Agriculture, small cottage industries, livestock rearing, residential areas, daily wage labourers, etc.**

Annexure- IV B

LIST OF VILLAGES INSIDE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND GORUMARA NATIONA PARK

List of Villages with their GPS Details under Eco- Sensitive Zone of Gorumara National Park					
Si No.	**GPS Co-Ordinates**	**Point particulars**	**Area/Village**	**JL no.**	**Block**
1	27˚00'19.03"N 88˚50'28.69" E	Kumai T.G	Kumai Village	36	Gorubathan
2	27˚00'44.79" N 88˚51'12.58" E	Naksha Khola	Kumai Village	36	Gorubathan
3	27° 0'32.93"N 88°52'21.28"E	Jaldhaka River 1	-	-	Gorubathan
4	26°56'38.50"N 88°52'37.23"E	Jaldhaka River 2	-	-	Gorubathan
5	26°52'41.09"N 88°54'20.50"E	Sukhani Busty	Sukhani Busty	8	Nagrakata
6	26°51'35.23"N 88°54'45.90"E	Khas Busty	Khas Busty	8	Nagrakata
7	26°53'50.07"N 88°53'51.68"E	Siliguri- Alipurduar railway line	Sulkapara Gram Panchayat	8	Nagrakata
8	26°50'41.98"N 88°54'50.11"E	Sulkapara Forest Rest House	Sulkapara Gram Panchayat	18	Nagrakata
9	26°50'40.96"N 88°55'5.98"E	Gathia River	Chhar Tandu	17	Nagrakata
10	26°50'35.77"N 88°56'34.15"E	Point on River bed at Chhar Tandu	Chhar Tandu	17	Nagrakata
11	26˚47'52.40" N 88˚56'27.81" E	Kalabari	Angrabhasa I	28	Nagrakata

			G.P		
12	26°45'16.43" N 88°55'6.58" E	Dhumpara	Angrabhasa I G.P	26	Nagrakata
13	26˚42'55.60" N 88˚54'10.42" E	Gairkata Quadjuncture	Nathuahat	24	Nagrakata
14	26°42'39.52"N 88°53'25.03" E	Majhiali Busty Primary School	Nathuahat	24	Nagrakata
15	26°42'21.41"N 88°53'22.03"E	Nathuahat	Nathuahat	24	Banarhat
16	26°42'8.29"N 88°53'4.71"E	Purba Dobbari	Nathuahat	42	Banarhat
17	26˚41'34.69"N 88˚53'24.18" E	Fataktari	Nathuahat	42	Banarhat
18	26°41'9.51"N 88°53'21.22"E	Bibadi Bagh Footbal ground	Nathuahat	49	Dhupguri
19	26°40'14.53"N 88°53'27.43"E	Gairkata Road	Ramsai Forest	3	Banarhat
20	26°40'2.55"N 88°51'30.30"E	Ramsai I	Panbari	5	Maynaguri
21	26˚40'20.41" N 88˚51'30.16" E	Ramsai II	Panbari	5	Maynaguri
22	26˚41'12.36" N 88˚51'29.57" E	Kamarghat	Panbari	5	Maynaguri
23	26°42'37.00"N 88°51'5.83"E	Panbari - Ramsai Road	Kawagap	8	Maynaguri
24	26°42'44.03"N 88°50'1.64"E	Panbari - Ramsai Road	Kawagap	8	Maynaguri
25	26°41'11.05"N 88°49'0.01"E	Canal Road	Ramsai	9	Maynaguri
26	26˚41'42.44" N 88˚46'35.60" E	Jharmatialli	Jharmatialli	92	Maynaguri
27	26˚42'39.90" N 88˚46'15.24" E	Bichhabhanga I Comptt.	Lataguri Forest	31	Mal
28	26°43'24.26"N 88°46'20.70"E	Lataguri Flyover	Lataguri Revenue Area	81	Mal
29	26°44'13.33"N 88°45'39.94"E	Neora River Rail Bridge	Purba Kantadighi Kumarpara	82	Mal
30	26˚44'23.72" N 88˚45'29.91" E	Neora River	Purba Kantadighi Kumarpara	80	Mal
31	26°46'18.46"N 88°45'19.58"E	Chhaoaphali	Chhaoaphali	30	Mal
32	26˚47'32.04" N 88˚45'16.83" E	Nich Chalsa	Chhaoaphali	30	Mal
33	26°47'57.19"N 88°46'10.88"E	Baradighi T.G	Baradighi TG	23	Matalli
34	26˚49'00.00" N 88˚47'46.98" E	Batabari Pharm More	Purba Batabari	26	Matalli
35	26°48'56.60"N 88°48'13.71"E	PMGSY 1	Purba Batabari	26	Matalli
36	26°48'59.22"N 88°48'17.37" E	PMGSY 2	Purba Batabari	26	Matalli
37	26°49'3.43"N 88°48'16.45"E	PMGSY 3	Purba Batabari	26	Matalli
38	26°49'3.56"N 88°48'20.40"E	PMGSY 4	Purba Batabari	26	Matalli
39	26°50'9.19"N 88°48'49.29"E	Zilla Parishad Road	Uttar Dhupjhora	27	Matalli
40	26˚51'18.79"N 88˚49'12.79" E	Indong F.V Road	Mangalbari	17	Matalli
41	26°52'48.66"N 88°49'33.84"E	New Khunia F.V	Chalsa Mahabari	16	Matalli
42	26˚53'05.51" N 88˚49'28.73" E	Railline Crossing Point	Chalsa Mahabari	16	Matalli
43	26°53'9.35"N 88°48'39.39"E	Kilcott Road	Kilkott TG	15	Matalli
44	26°53'4.29"N 88°48'40.08"E	Bagher Tari Busti	Chalsa Mahabari	16	Matalli
45	26°53'11.50"N 88°48'40.48"E	Padri Kuthi Busty	Kilkott TG	15	Matalli
46	26°53'21.24"N 88°48'39.61"E	Kilcott T.G I	Kilkott TG	15	Matalli
47	26°54'25.39"N 88°48'40.54"E	Kilcott T.G II	Kilkott TG	15	Matalli
48	26°55'59.96"N 88°48'42.37"E	Matelli	Matialli Hat	12	Matalli

IndiaCode

49	26°57'47.11"N 88°50'46.46"E	Matelli T.G Moortee Division Top Line	Matialli T.G	10	Matalli
50	26°58'43.21"N 88°50'9.73"E	Yongtong T.G	Yongtong T.G	9	Gorubathan
51	26°59'39.62"N 88°50'45.46" E	Kumai Khasmahal	Kumai Khasmahal	36	Gorubathan

Annexure- V

Performa of Action Taken Report

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment Act.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.12.05 16:36:14 +05'30'